राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : संस्था.–1 / 2024 / ४९७५–५०५५ दिनांक : १०/०६/२०२५

परिपत्र

1. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, विश्वविद्यालय संघठक महाविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त निदेशक, शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

विषयः– पूर्ण वैतनिक (P.L.) एवं अर्द्ववैतनिक (HPL) अवकाश के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः यह पाया गया है कि विश्वविद्यालय के अधिकांश शिक्षकों द्वारा निजी / आवश्यक / चिकित्सक परामर्श के अनुसार अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है किन्तु प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक जानकारी एवं चिकित्सक परामर्श के अनुसार पूर्ण वैतनिक / अर्द्ववैतनिक अवकाश हेतु सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न नही किये जाने से अवकाश स्वीकृत करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः निर्देशानुसार समस्त शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि पूर्ण वैतनिक एवं अर्द्ववैतनिक अवकाश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन फॉर्म में अपना आवेदन सम्बन्धित को आवश्यक दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(अवधेश सिंह)
कुलसचिव